

ग्राम:कटारा			पटवारी हल्का:रापड़िया			तहसील:कोलार			जिला:भोपाल		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जागद 4. अन्य	फसल के आंशिन क्षेत्रफल	1. भूमि के रियाई संबंधी तारीखति 2. भूमि पर रररचना /अंश 3. अन्तर अतिरयुक्तिया 4. वर्ष के दौरान कॉलम पांड्या (1) में (9) तक में प्रविष्टिगी में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1145651872 815NC7DAF1K1H0	133 (S)		0.4800 हेक्टेयर आवासीय रु.9600.00	मे असनानी बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स लिमि द्वारा डायरेक्टर विशन असनानी जाति null पता कटारा कोलार भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	1						प्रकरण नं. 205 आदेश दिनांक एवं धारा संख्या 59 के अनुसार खसरा नंबर 133 का क्षेत्रफल 4800 (वर्ग मी.) व्यपवर्तित किया गया न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0018/अ-6/2011-12, आदेश दि. 29/05/2012 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0018/अ-6/2011-12, आदेश दि. 29/05/2012 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0018/अ-6/2011-12, आदेश दि. 29/05/2012 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0018/अ-5/2011-12, आदेश दि. 29/05/2012 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0018/अ-5/2011-12, आदेश दि. 29/05/2012 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय तह.वृत्त -3 के रा.प्र.क्र.497/बी-121/10-11 आ.दि. 29.6.2011 के अनुसार (ग्राम) न्यायालय कलेक्टर महोदय के रा.प्र.क्र. 13/अ-6-अ/11-12 आ.दि. 16.5.2012 एव ना.प.क्र. 18 आ.दि. 29.5.2012 के अनुसार

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल तथ्यों की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साईड में होने के लिये लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से भू-अभिलेख में अपडेट और नक्सा अपडेट आदि करने ।
4. प्रविष्टिगी में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।